



कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम
सागोद रोड़, रतलाम (म.प्र.)



टैलीफ़ैक्स नं. (07412) 270418

E-mail Address - dfotrtlam@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2022/2690
प्रति,

रतलाम, दिनांक : 27-06-2022

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
उज्जैन वृत्त,
उज्जैन

- विषय :- रतलाम जिले में रतलाम मोरवनी-उमर -रावटी- बाजना मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयन हेतु 4.977 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम को उपयोग पर देने बाबत।
- संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र./16-MPB 004/2022 BHO दिनांक 25-02-2022, एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र./एफ-5/1087/2021/10-11/730 दिनांक 02-03-2022, 1036 दिनांक 17-03-2022

-0-

विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण में सन्दर्भित पत्र से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा DSS Analysis रिपोर्ट अनुसार ली गई आपत्ति की पूर्ति आवेदक विभाग द्वारा किया जाकर उनके पत्र क्र/2591/टी.एस/22-23 दिनांक 23-06-2022 से प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रकरण में प्रस्तावित वनक्षेत्र में छुटे हुए वनक्षेत्र को शामिल कर कुल लम्बाई 7895 मी. और चौड़ाई कम करते हुए 6.304 मी. इस प्रकार कुल रकबा 49770 वर्ग मीटर अर्थात् 4.977 हेक्टेयर का प्रस्ताव संशोधित किया गया है, प्रस्तावित वन क्षेत्र की के.एम.एल. फाईल संशोधित कर परिवेश पोर्टल के ऑनलाईन प्रकरण में प्रकरण क्रमांक FP/MP/ROAD/44455/2020 में अपलोड की गई है। साथ ही संशोधित वन क्षेत्र का मानचित्र (टोपोशीट एवं जियो रिफ्रेंस मेप) तैयार कर पोर्टल में अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः आवेदक विभाग का प्रतिवेदन मय संलग्न अभिलेख आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन (तीन प्रति)।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

क्रमांक/मा.चि./2022/2691
प्रतिलिपि :-

रतलाम, दिनांक : 27-06-2022

01. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम

web site : www.mp.gov.in/pwdmp

email: eepwdratlam@mp.nic.in

Phone- 07412-270437] Fax -232445

क्रमांक 2591...../टी.एस./22-23/

रतलाम दिनांक 23-8-2022

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी

वन मण्डल-रतलाम (म.प्र.)

विषय-

रतलाम जिले में रतलाम-मोरवानी-उमर-रावटी-बाजना मार्ग चौड़ीकरण/ उन्नयन हेतु 4.977 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम को उपयोग पर देने बाबत।

सन्दर्भ-1)

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPB 004/2022-BHO/ Date 25-02-2022 से प्राप्त निर्देशानुसार।

2)

आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./1069 रतलाम दिनांक 24.03.2022

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रतलाम-मोरवानी-उमर-रावटी-बाजना मार्ग चौड़ीकरण/ उन्नयन हेतु वन विभाग से अनुमति के संबंध में लोक निर्माण विभाग से संबंधित आपत्तियों का निराकरण कर प्रकरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

कृपया निर्माण कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का कष्ट करें।

संलग्न:- 1 अनापत्ति प्रमाण-पत्र (जल संसाधन) (03 प्रति में)

2 क्षेत्र गणना पत्रक। (03 प्रति में)

3 कूड़ा निस्तारण प्रमाण-पत्र। (03 प्रति में)

4 KML फाईल संपूर्ण मार्ग गैर वनक्षेत्र। (साफ्ट कॉपी में)

5 टोपो शीट। (04 प्रति में)

6 जीयो मेप रिफरेंस। (04 प्रति में)

कार्यपालन यंत्री

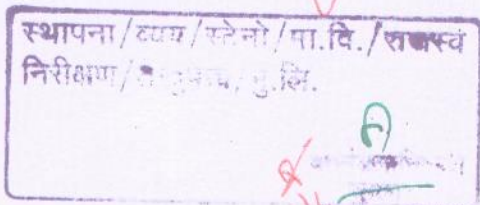
लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम (म.प्र.)

पृ. क्रमांक...../टी.एस./22-23/

रतलाम दिनांक.....

प्रतिलिपि:-

अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग सैलाना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सम्भाग रतलाम म.प्र.

Email - eewdrfm@rediffmail.com phone No. 07412 267540

पत्र क्रमांक 826 / कार्य / सामान्य / 2022

रतलाम, दिनांक 24.03.2022

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
सम्भाग रतलाम

विय- एन.डी.वी. योजनान्तर्गत निर्माणाधीन रतलाम-मोरवनी-उमर-रावटी-बाजना मार्ग में वन विभाग से अनुमति के प्रकरण में अनापत्ति प्रदान करने बाबत ।

सन्दर्भ- आपका पत्र क्रमांक-1213 / टी.एस. / 21-22 / रतलाम, दिनांक-14.03.2022

उपरोक्त वियान्तर्गत सन्दर्भित पत्र से एन.डी.वी. योजनान्तर्गत निर्माणाधीन रतलाम-मोरवनी-उमर-रावटी-बाजना मार्ग में वन विभाग से अनुमति के प्रकरण में आपके द्वारा चाहा गया अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्त अनुसार प्रदान की जाती है ।

- 1- विभाग अन्तर्गत सिंचाई तालाबों की निर्मित नहरे यदि प्रस्तापित मार्ग से प्रभावित होती हैं तो संरचना/नहरो की ड्राईंग एवं डिजाईन जल संसाधन विभाग के सक्षम अधिकारी से स्वीकृत/ अनुमोदन होने के पश्चात् लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर नवीन निर्माण किया जावेगा ।
- 2- उक्त से निर्मित संरचना/नहरो का स्वामित्व जल संसाधन विभाग का रहेगा ।

सहपत्र - शून्य

(पी.के. खरत)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

रतलाम, दिनांक 24.03.2022

पत्र क्रमांक 827 / कार्य / सामान्य / 2022

प्रतिलिपि -

- 1- अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, रतलाम की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी, धोलावड शीर्ष कार्य उपखण्ड वासिन्द्रा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाह हेतु प्रेषित ।

सहपत्र - शून्य

(पी.के. खरत)

कार्यपालन यंत्री

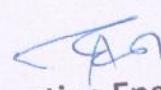
जल संसाधन संभाग रतलाम

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIVISION RATLAM
AREA CALCULATION SHEET
FOREST AREA PART - A

Comp. No.	Length (m.)	Width Both Side (m.) (15.054 m. - 8.75 m.)	Area (Sqm)	Area (Ha.)
PF - 76	320	6.304	2017.28	0.2017
PF - 77	818	6.304	5156.67	0.5157
PF - 69	823	6.304	5188.19	0.5188
PF - 70	2793	6.304	17607.07	1.7607
PF - 51 & 52	3141	6.304	19800.86	1.9801
Total	7895	Av. Width 6.304 m	49770.08	4.977

NON FOREST AREA PART - B

KML FILE	LENGTH (MTR.)	WIDTH (MTR.)	AREA (SQM)	AREA (HA)
ROAD 1	1687	20	33740	3.374
ROAD 2	1430	20	28600	2.86
ROAD 3	788	20	15760	1.576
ROAD 4	681	20	13620	1.362
ROAD 5	1125	20	22500	2.25
ROAD 6	23142	20	462840	46.284
ROAD 7	11423	20	228460	22.846
Total	40276	Av. Width 20 m	805520	80.552


Executive Engineer
PWD Division Ratlam

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम

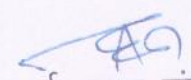
web site : www.mp.gov.in/pwdmp

email: eeppwdratlam@mp.nic.in

Phone- 07412-270437] Fax -232445

—:प्रमाण—पत्र:—

प्रमाणित किया जाता है कि रतलाम जिले में एन.डी.बी. योजनान्तर्गत रतलाम—मोरवानी—उमर—रावटी—बाजना मार्ग लम्बाई 48.26 कि.मी. का निर्माण कार्य के उक्त भाग में डामरीकरण सड़क का निर्माण कार्य किया जाना है। डामरीकरण कार्य हेतु लगाया गया प्लांट वनक्षेत्र में स्थापित नहीं है, अपितु राजस्व भूमि क्षेत्र में है। उक्त सड़क का निर्माण Ministry of Road Transport and Highway के मापदण्ड अनुसार किया जाना है एवं निर्माण के दौरान कोई मलवा या कूड़ा निर्मित नहीं होगा। नवीन निर्माण के लिए पुरानी सतह को हटाने से प्राप्त सामग्री को गड़ड़ा भराव इत्यादि में उपयोग किया जाएगा। वनक्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाएगी।


कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम (म.प्र.)